



Neutral Citation No - 2026:AHC:35960

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4320

गंगाधर शर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिनेश कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है:-

"i. प्रतिवादियों को यह समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे दिनांक 25.07.2006 के तथाकथित आवंटन/पट्टे के बदले प्रतिवादी संख्या 6 से 10 को प्रदत्त भूमि पर याचिकाकर्ता का कब्जा पुनर्स्थापित करें।

ii. याचिकाकर्ता को क्षतिग्रस्त संरचना अर्थात् पक्का कोठा, चहारदीवारी, पशुशाला टीन शेड के क्षतिग्रस्त होने तथा पुराने वृक्षों के काटे जाने आदि से कारित क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. अभिलेख एवं रिट याचिका में अन्तर्विष्ट अभिवचनों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करना चाहता है।

3. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी व्यक्तियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के विरुद्ध अनुतोष चाहता है, जो रिट अधिकारिता के अन्तर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में विधि सुस्थापित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और समुचित उपचार सामान्य विधि के अन्तर्गत उपलब्ध है।

4. प्रकरण की इस स्थिति में, वर्तमान याचिका सामान्य विधि के अन्तर्गत उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता सहित, यदि ऐसी सलाह दी जाए, खारिज की जाती है।

5. इस स्तर पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को अनागृहीत के रूप में खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

6. उक्त के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

18 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"